बिहार सरकार
गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

अधिसूचना

पटना, दिनांक जून, 2016

पत्र संख्या–1 / एल1–10–22 / 2015 गृ0आ0 / विभागीय अधिसूचना संख्या–2279, दिनांक 21.03.2016 द्वारा श्री राकेश कुमार, भा0पु0से0 (2013), सहायक पुलिस अधीक्षक, फुलवारीशरीफ, पटना को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली–1955 के नियम 10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत उपभोग किये गये अवकाश दिनांक 09.10.2015 से 29.11.2015 तक कुल 52 (बावन) दिनों का उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति पूर्व में प्रदान की गयी थी।

2. श्री राकेश कुमार के पक्ष में दिनांक 31.12.2015 तक कुल 50 (पचास) दिनों का ही उपार्जित अवकाश संचित था । अतः महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना से प्राप्त परामर्शानुसार उक्त स्वीकृत उपार्जित अवकाश के स्थान पर श्री कुमार को दिनांक 09.10.2015 से 27.11.2015 तक कुल 50 (पचास) दिनों का उपर्जित अवकाश एवं दिनांक 28.11.2015 से 29.11.2015 तक कुल 02 (दो) दिनों के अर्द्धवैतनिक अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0 / –
(रंजन कुमार सिन्हा)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–1 / एल1–10–22 / 2015 गृ0आ0 / पटना, दिनांक जून, 2016

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना–7 / प्रभारी ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–1 / एल1–10–22 / 2015 गृ0आ0 / पटना, दिनांक जून, 2016

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना / कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–1 / एल1–10–22 / 2015 गृ0आ0 5131 / पटना, दिनांक 1/7 ~~जून~~, 2016

प्रतिलिपिः– अवर सचिव (पुलिस) गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली / पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना / श्री राकेश कुमार, भा0पु0से0 (2013), सहायक पुलिस अधीक्षक, फुलवारीशरीफ, पटना / प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–5, गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना / ~~आई0टी0 प्रबंधक,~~ गृह विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।